उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-63/2019/846/92-2-19-232आरई/2009

लखनऊ:: दिनांक 15 अप्रैल, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा में तत्का0 प्रभारी अधशिासी अभियंता के रूप में कार्य करते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पी0आई0यू0-2, इटावा के फेज-2 के पैकेज संख्या-यू0पी0-2244 के अंतर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितता के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-02-2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली को जांच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप निम्नवत है :-

आरोप सं0-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज-7 के पैकेज सं0-यूपी-2244 के अंतर्गत ददौरा मार्ग से मुसावली मार्ग से मुसावली, कुल लम्बाई 3.95 कि0मी0 मार्ग के अपग्रेडेशन का निर्माण कार्य का निरीक्षण दिनांक 26-11-09 को अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर द्वारा किया गया। निरीक्षण में कार्य में पाया गया कि मार्ग की कुल लम्बाई 3.95 कि0मी0 में कराये गये जी-2 के कार्य में स्क्रीनिंग मैटेरियल के स्थान पर स्थानीय बालू/सिल्ट का प्रयोग किया गया है। फलस्वरूप जी-2 का समस्त कार्य निरस्त करते हुये उसे डिस्मेंटल करते हुये पुन निर्माण के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार मार्ग के 3.75 किमी0 भाग में कराया गया जी-3 कार्य भी अधोमानक पाये जाने के कारण निरस्त कर पुन: निर्माण के निर्देश दिये गये। आप द्वारा जानबूझ कर अधोमानक कार्य कराया जाता रहा और आप द्वारा उसे स्वीकार कर उसका भुगतान समय समय पर संबंधित ठेकेदार को किया जाता रहा। अत: आप शासकीय आदेशों एवं कार्य की निर्धारित विशिष्टियों का उल्लंघन कर शासन को गम्भीर क्षति पहुंचाने के दोषी है।

आरोप सं0-2

_उपरोक्त वर्णित अधोमानक कार्य को डिसमैंन्टल कर पुन: निर्माण 15 दिवस में करा जाने के निर्देश निरीक्षण के समय मौके/कार्यस्थल पर ही देते हुए आपसे अपेक्षा की गयी थी कि समय से अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जाय। परन्तु आप द्वारा निर्देशों की अवहेलना करते हुये कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। आपका उक्त कृत कार्य में बरती गयी गम्भीर अनियमतताओं में संलिप्तता स्पष्ट परिलक्षित है। अत: आप उपरोक्तानुसार वर्णित गम्भीर अनियमितताओं में संलिप्त रहने एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के दोषी है।

आरोप सं0-3

उपरोक्त वर्णित अधोमानक कार्य को जानबूझकर सम्पादित कराने से संबंधित सहायक अभियंता, श्री आशाराम एवं संबंधित अवर अभियंता, श्री राम औतार के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर 15 दिवस के अंदर प्रेषित करने के निर्देश अधीक्षण अभियंता, परि0 कानपुर की निरीक्षण टीप दिनांक 30-11-09 में दिये गये थे परन्तु आप द्वारा उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करन के निर्देशों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया, इस प्रकार आप उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमित/अधोमानक निर्माण कराने के लिये उत्साहित करने के लिये दोषी है।

आरोप सं0-4

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-4 के अंतर्गत पैकेज सं0-2214 से संबंधित अनुबंध सं0-13/एसई/आरईएस/पीएमजीएसवाई/फेज-4/05-06 दिनांक 18-01-2006 का गठन कर मै0 विकास बिल्डर्स, 208 बी0 फ्रेन्डस कालोनी, इटावा के संबंधित सम्पर्क मार्गो के निर्माण का कार्य कराये जाने के आदेश किये गये थे। आप पूर्वाधिकारी तत्का0 अधिशासी अभियंता, पीआईयू0-2 के पत्रांक-378 पीआईयू-11/पैकेज-2214/दि0 21-11-08, जो अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर को संबोधित था, के द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत पैकेज सं0-2214 के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा कुल कराये गये कार्य से रू0 21,21,020.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) का अधिक भुगतान उनके पूर्वाधिकारी द्वारा कर दिया गया है तथा उन्होने उक्त अधिक धनराशि के भुगतान की वसूली संबंधित ठेकेदार मै0 विकास बिल्डर्स से उसके द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य पैकेज सं0-22 जो कि अनुबंध सं0-7/एसई/आरईएस/पीएमजीएसवाई/फेज-6/08-09 दिनांक 06-06-08 द्वारा आदेशित है से की जा सकती है। अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर ने अधिशासी अभियंता, पीआईयू-2 के उस प्रस्तावानुसार पैकेज संख्या-2236 से उपरोक्त वर्णित अधिक भुगतान रू0 21,21,020.00 का समायोजन करने के निर्देश दिये, जिसके अनुपालन में आप द्वारा कार्यवाही कर अपेक्षित समायोजन किये जाने की सूचना अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर को दी गयी। परन्तु समायोजन कार्यवाही का विस्तृत विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया तथा आप द्वारा अधिक किये गये भुगतान से संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का कोई प्रस्ताव या आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात आप द्वारा संबंधित ठेकेदार से सांठ-गांठ कर ठेकेदार के अनुरोध पर बिना अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर की पूर्व अनुमति के अपने स्तर से कमेटी गठित कर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य की मापों के विवरण का सत्यापन करते हुये पूर्व घोषित अधिक भुगतान की राशि रू0 21,21,020.00 मात्र को वापस करने का प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत किया गया। परन्तु उपरोक्त वर्णित सत्यापन की कार्यवाही का विस्तृत विवरण अर्थात आप द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गयी स्थलीय जांच/कार्य से संबंधित किये गये स्थलीय परीक्षण/टेस्ट तथा तत्संबंधी रिपोर्ट इत्यादि का विस्तृत प्रस्तुत किये बिना अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर को भ्रमित कर तथा तथ्यों को छिपाते हुये दिनांक 28-07-2009 को अनुमोदन प्राप्त कर रू0 21,21,020.00 का भुगतान अनियमित तरीके से संबंधित ठेकेदार मै0 विकास बिल्डर्स को कर दिया गया। प्रकरण में आपको निम्न प्रकार आरोपित किया जाता है :-

अ- फेज-4 के पैकेज संख्या-2214 में पूर्व में की गयी अधिक भुगतान का समायोजन फेज-6 के पैकेज संख्या-2236 से किये की पुष्टि के प्रमाण आप प्रस्तुत किये जाने के कारण रू0 21,21,020.00 मात्र की धनराशिका गबन परिलक्षित है, जिस हेतु आप दोषी पाये जाते है।

ब- कालान्तर में संबंधित ठेकेदार से सांठ-गांठ कर रू0 21,21,020.00 में समायोजन कर वसूल घोषित धनराशि का संबंधित ठेकेदार को पुन: भुगतान किये जाने केलिये आप पूर्णतया दोषी है।

2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली के पत्र दिनांक 20-04-2012 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कतिपय आरोप सिद्ध पाये गये। आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दि0 13-06-2012 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 22-02-2013, 05-07-2014 व 23-01-2015 द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मरित कराया गया किन्तु अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दि0 18-05-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय से अभ्यावेदन मांगे जाने विषयक शासन के पत्र दि0 23-01-15 की प्रति उन्हें दि0 25-02-2015 को प्राप्त कराते हुये तामीली की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपो के आधार पर शासन द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के कारण कारित शासकीयक्षति रू0 21,21,020.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली तथा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4- अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-09-2015 को सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14-01-2016 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित करते हुये शासन द्वारा विनिश्चित दण्ड उक्त अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दि0 14-01-2016 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5- लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दि0 04-08-2016 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड पर निम्नवत सहमति व्यक्त की गयी :-

"शासन द्वारा प्रस्तावित शास्ति शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री सहाय के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाये।"

6- लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-02-2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा (सम्प्रति सेवानिवृत्ति) के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 14-01-2016 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया है, में श्री धीरेन्द्र सहाय से शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली के आदेश दिनांक 07-10-2016 पारित किये गये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-10-2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा अपना प्रत्यावेदन दि0 24-09-2018 उपलब्ध कराया गया जिसमें उक्त दण्डादेश दिनांक 07-10-2017 के पुनरावलोकन हेतु निम्न आधार प्रस्तुत किये गये है :-

1- यह कि जांच अधिकारी द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनएवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 में जॉच हेतु विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और न ही नियमानुसार जांच सम्पादित की गयी है।

2- यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये, आरोप पत्र का उत्तर के आधार पर ही, जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो कि नियमों के विपरीत है।

3- यह कि जांच अधिकारी द्वारा जांच हेतु कोई भी समय, स्थान व दिनांक निश्चित नहीं किया गया है और न ही प्रार्थी को मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है और न ही किसी साक्षी को परीक्षण का अवसर प्रदान किया गया है। प्रार्थी को जांच अधिकारी द्वारा कभी भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नहीं बुलाया गया है।

4- यह कि जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा किये गये आरोप पत्र के उत्तर को संज्ञान में नही लिया गया है और न ही उस पर विचार किया गया है।

5- यह कि प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये चारो आरोप निराधार तथा असत्य है। जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या में आरोप सं0-1 से 3 आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-4 पूर्ण रूप से सिद्ध पाये गये है। यदि नियमानुसार जांच सम्पादित की जाती, तो प्रार्थीके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप असत्य पाये जाते।

6- यह कि प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 5/4/2010 के विरूद्ध प्रार्थी ने एक विस्तृत प्रत्यावेदन दिनांक 4/5/2010 को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थी ने अपने विरूद्ध लाये गये समस्त आरोपो से इंकार किया था, परन्तु जांच अधिकारी द्वारा उस पर कोई विचार नही किया गया है।

7- यह कि सी0एस0आर0 के नियम 351ए के अंतर्गत किये गये प्राविधानों का पालन नहींकिया गया है। जांच आख्या में प्रार्थी के विरूद्ध गंभीर अनाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है जो कि सी0एस0आर0 के नियम-351ए के तहत, दण्डादेश पारित करने हेतु निर्धारित शर्त है।

8- यह कि पारित दण्डादेश द्वारा प्रार्थी के समस्त सेवानैवृत्तिक लाभों को रोक लिया गया है, जबकि सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत केवल पेंशन रोके जाने का प्राविधान है। ग्रेच्युटी रोके जाने का प्राविधान उक्त अनुच्छेद में नही है।

9- यह कि प्रार्थी को आरोप पत्र दिनांक 5/4/2010 को प्रेषित किया गया है, जिसका उत्तर प्रार्थी द्वारा दिनांक 5/4/2010 को ही प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अंतिम आदेश बहुत विलम्ब से दिनांक 07/10/2016 को पारित किया गया है, इसी बीच प्रार्थी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-09-2015 को सेवानिवृत्त हो गया। अत: उ0प्र0 पेंशन के मामलों प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन नियमावली, 1995 के नियम-17 के अनुसार यदि विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व संस्थित की गई हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से 6 मास के भीतर पूरा करने का प्राविधान है। प्रार्थी के प्रकरण में विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्त के दिनांक से 6 माह के बाद विभागीय कार्यवाही पूर्ण की गई है, अत: उक्त नियमों के विपरीत होने के कारण पारित दण्डादेश निरस्त होने योग्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- यह कि जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान नही किया गया है और न ही जांच कार्यवाही उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत सम्पादित की गई है। अत: पारित दण्डादेश निरस्त होने योग्य है।

11- यह कि न तो जांच अधिकारी द्वारा और न ही अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही नियमों के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध सम्पादित की गयी है। अत: पारित दण्डादेश निरस्त होने योग्य है।

12- यह कि चूंकि जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999के नियम-7 में दिये गये प्राविधानानुसार सम्पादित नहीं की गयी है, अत: सम्पूर्ण जांच आख्या दूषित है। दूषित जांच आख्या के आधारपर पारित दण्डादेश दिनांक 07-10-2016 निरस्त होने योग्य है।

13- यह कि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा द्वारा प्रार्थी को अनन्तिम पेंशन दिनांक 22-05-2017 को स्वीकृति की गयी थी, परन्तु उसका भी भुगतान प्रार्थी को नही किया जा रहा है।

8- श्री धीरेन्द्र सहाय, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के प्रत्यावेदन दिनांक 24-09-2018 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के पत्र सं0-2919/92-2-18-232आरई/09 दि0 15-11-2018 द्वारा जॉच अधिकारी /अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली को अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-बरेली के पत्र दिनांक 17-01-2019 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया कि उनके पत्र दिनांक 06-12-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय को उनने कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचित किया गया। श्री धीरेन्द्र सहाय दि0 09-01-2019 को जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि "उक्त के तहत उन्हें यह कहना है कि जो जबाव मैने पूर्व में दिया गया है वही जबाव मेरा साक्ष्यों सहित है वही फाइनल जबाव है।"

9- उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-इटावा सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का अवसर देते हुये उपलब्ध करायी गयी आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री सहाय के प्रत्यावेदन दि0 24-09-2018 को, उसमें कोई नवीन तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत बलहीन पाये जाने पर एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-63/2019/846(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभिवि0, पीआईयू-2, इटावा (सम्प्रति से0नि0) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।